न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 45/10 तारीख दायर 7/3/10

रामलाल पिता माधु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....................प्रार्थी

बनाम

1. देवा पिता पन्ना जाति धाकड़ उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भैरु पिता खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. माधु पिता ईस्वर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 16-4-10

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 125 पर अंकित आराजी संख्या 210 रकबा 0–07 बीघा भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर [illegible]

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 125 पर अंकित आराजी संख्या 210 रकबा 0–07 बीघा भूमि** वशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner